सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.07.2024

जिला सहकारी बैंक में पैसों की धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक उमेश कुमार एवं वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक इटावा राजीव त्रिपाठी की लिखित तहरीर के आधार पर 10 नामजद व्यक्तियों द्वारा 24 करोड़ 90 लाख रूपये के गबन/अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में **थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18.07.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 202/2024 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को बस स्टैण्ड तिराहे के पास से समय 12.45 बजे गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नफीसुल जैदी उर्फ गुड्डु पुत्र शमसुल हसन जैदी निवासी घटिया अजमत अली थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 59 वर्ष।**
2. अतुल प्रताप सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी चौगुर्जी थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 57 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, निरी0 अपराध श्री भोला प्रसाद रस्तोगी, उ0नि0 सुरेन्द्र पाल, का0 निवेश कुमार, का0 योगेश कुमार, हे0का0 चालक महेन्द्र सिंह।